उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं0- **81/2018/** सं0वि0क0नि0-1-1037/11-2018-1035(55)/13
लखनऊः दिनॉकः 25 जून, 2018

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

निर्देश याचिका संख्या-300/2014 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 के समादर में श्री अशोक कुमार, डिप्टी कमिश्नर (ज्येष्ठता क्रमांक-1354) को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री कृष्ण कुमार दूबे (ज्येष्ठता क्रमांक-1355) की डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की तिथि 31.12.2008 से दिनांक 27.06.2012 तक डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6600/- में एतदद्वारा नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2- उक्त नोशनल पदोन्नति अवधि हेतु ''नो वर्क नो पे'' के सिद्धांत के आधार पर कोई वेतन/एरियर देय नहीं होगा।

श्री राज्यपाल की ओर से,

मो0 मारूफ
विशेष सचिव

संख्याः-सं0वि0क0नि0-1-1037(1)/11-2018, तद्दिनॉक।
उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना/सेवावाद), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।